बिहार सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

पत्रांक – प्र0–06/विविध–10/2018 3775 खाद्य, पटना/दिनांक– 07.08.2018

प्रेषक,

पंकज कुमार
सरकार के सचिव।

सेवा में,

प्रबंध निदेशक,
बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम,
खाद्य भवन, पटना ।

विषय :– Welfare Institutions and Hostels Scheme के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा आवंटित खाद्यान्न के उठाव एवं वितरण हेतु डोर स्टेप डिलेवरी योजना–2016 के तहत मार्गदर्शिका ।

प्रसंग :– अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग का संकल्प ज्ञापांक–3/निदे0 (छात्रावास) विविध,–66–12/18–1143, पटना, दिनांक–10.05.2018।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि भारत सरकार द्वारा घोषित Welfare Institutions and Hostels Scheme के अन्तर्गत अनुसूचित जाति एवं जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक वर्ग के छात्र/छात्राओं एवं कल्याणकारी संस्थाओं हेतु खाद्यान्न डोर स्टेप डिलेवरी योजना–2016 के माध्यम से उपलब्ध कराया जाना है। उक्त योजना के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा आवंटित खाद्यान्न के **अभिहित डिपो से संबंधित विभागों द्वारा संचालित छात्रावासों एवं कल्याणकारी संस्थाओं तक परिवहन एवं हथालन की व्यवस्था निम्नवत् होगी :–**

(i) भारतीय खाद्य निगम से राज्य खाद्य निगम के गोदाम तक खाद्यान्न का परिवहन की व्यवस्था

(क) खाद्यान्न के मासिक आवंटन को संबंधित माह में उठाव करने हेतु जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम द्वारा खाद्यान्न उठाव हेतु मासिक कार्यक्रम तैयार कर उसकी प्रति भारतीय खाद्य निगम, परिवहन अभिकर्त्ता, सहायक गोदाम प्रबंधक, भारतीय खाद्य निगम के गोदाम में उठाव प्रभारी के रूप में प्रतिनियुक्त अपर जिला प्रबंधक जनवितरण प्रणाली, जिला कल्याण पदाधिकारी, जिला अल्संख्यक कल्याण पदाधिकारी एवं अन्य संबंधित जिला स्तरीय पदाधिकारी को दिया जाएगा ।

(ख) भारतीय खाद्य निगम के गोदाम से खाद्यान्न उठाव हेतु मासिक कार्यक्रम के अनुसार निर्धारित संख्या में जी0पी0एस0 एवं लोड सेल युक्त वाहनों को जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम द्वारा परिवहन अभिकर्त्ता के माध्यम से प्रतिनियुक्त खाद्यान्न उठाव प्रभारी अपर जिला प्रबंधक (जन वितरण) को उपलब्ध कराया जाएगा ।

(ग) भारतीय खाद्य निगम के गोदाम में प्रतिनियुक्त राज्य खाद्य निगम के उठाव प्रभारी, परिवहन अभिकर्त्ता द्वारा उपलब्ध कराये गये जी0पी0एस0 एवं लोड सेल युक्त वाहनों से संबंधित जिला के राज्य खाद्य निगम के गोदाम में भेजेंगे तथा संबंधित सहायक गोदाम प्रबंधक को गंतव्य स्थान, ट्रक का रजिस्ट्रेशन नं0, ट्रक ड्राईवर का नाम एवं उसका मोबाईल नं0, खाद्यान्न की मात्रा तथा प्रस्थान का समय भेजेंगे। संबंधित सहायक गोदाम प्रबंधक एस0एम0एस0 प्राप्त होते ही संबंधित ट्रक के सम्पर्क में रहेंगे और गोदाम में पहुँचने की अनुमानित समय से अधिक होने पर परिवहन अभिकर्त्ता, जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, जिला कल्याण पदाधिकारी, जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी एवं अन्य संबंधित पदाधिकारी को सूचित करेंगे। राज्य खाद्य निगम के गोदाम में खाद्यान्न वाला ट्रक पहुँचने की सूचना सहायक गोदाम प्रबंधक द्वारा उठाव प्रभारी को एस0एम0एस0 द्वारा दी जायेगी जिसमें उन्हें एस0एम0एस0 से प्राप्त सूचना का व्यौरा रहेगा ।

भारतीय खाद्य निगम के गोदाम के सहायक प्रबंधक का यह दायित्व होगा कि वे परिवहन अभिकर्त्ता द्वारा उपलब्ध कराये गये ट्रको में जी0पी0एस0 एवं लोड सेल लगे रहने की जांच कर लेंगे तथा जिस ट्रक में जी0पी0एस0 एवं लोड सेल नहीं लगा हो, उस ट्रक से खाद्यान्न नहीं भेजेंगे तथा इसकी सूचना जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम को देंगे ।

(घ) भारतीय खाद्य निगम के गोदाम से खाद्यान्न से लदे ट्रकों से परिवहन प्रारंभ होते ही राज्य खाद्य निगम द्वारा चयनित सेवा प्रदाता एजेन्सी द्वारा इसकी ट्रैकिंग प्रारंम्भ कर दी जायेगी । निर्धारित रूट से विचलन होने अथवा निर्धारित रूट के बीच में जी0पी0एस0 ऑफ होने के Alert की सूचना संबंधित परिवहन अभिकर्त्ता, जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, जिला कल्याण पदाधिकारी, जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी एवं अन्य संबंधित पदाधिकारी को निगम द्वारा चयनित संस्था द्वारा दिया जाएगा ।

(ड.) <u>खाद्यान्न के पारदर्शी परिवहन की व्यवस्था :-</u>

राज्य खाद्य निगम के गोदामों से छात्रावासों तक परिवहन अभिकर्त्ता द्वारा सभी वाहनों को एक रंग (पीले रंग के आधार पर) से रंगवाकर उसपर नीले रंग से जिला का नाम एवं निम्नवत् Logo अंकित किया जाएगा –

<u>"डोर स्टेप डिलेवरी योजना Welfare Institutions and Hostels Scheme के अन्तर्गत अनुदानित खाद्यान्न"</u>

आवंटित खाद्यान्न जी0पी0एस0 एवं लोडसेल युक्त वाहनों द्वारा निर्धारित रूट से ही संबंधित छात्रावासों तक खाद्यान्न पहुँचाया जाएगा। आकस्मिक स्थिति (यथा–आपदा प्रबंधन के दौरान निर्बाध खाद्यान्न की आपूर्ति) में भी खाद्यान्न का परिवहन जी0पी0एस0 एवं लोडसेल युक्त वाहनों से ही की जायेगी ।

परिवहन अभिकर्त्ता द्वारा प्रखंड गोदाम में पदस्थापित सहायक प्रबंधक के निदेशानुसार वाहनों को अपनी देख–रेख में संबंधित छात्रावासों तक खाद्यान्न पहुँचाया जाएगा एवं निर्गमादेश के अनुरूप छात्रावासों को खाद्यान्न की आपूर्ति की जाएगी तथा वाहन चालन

एवं निर्गमादेश की सेवित प्रति अपने नियंत्री सहायक प्रबंधक को उसी दिन उपलब्ध कराया जाएगा । छात्रावासों में भंडारपंजी एवं निर्गमादेश की पीली प्रति में भी उनके द्वारा प्रविष्टि की जाएगी। प्रत्येक गोदाम में जिला कल्याण पदाधिकारी, जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी एवं अन्य संबंधित पदाधिकारी द्वारा छात्रावास/कल्याणकारी संस्थाओं के अधीक्षक/नोडल पदाधिकारी के हस्ताक्षर का अभिप्रमाणित नमूना उपलब्ध कराया जाएगा जिसके आधार पर गोदाम प्रभारी द्वारा हस्ताक्षर मिलान कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी ।

(ii) खाद्यान्न का आवंटन एवं कम्प्यूटर के माध्यम से भंडार निर्गमादेश (S.I.O) निर्गत करने हेतु अपनायी जानेवाली प्रक्रिया निम्नवत् होगी :–

(क) भारत सरकार से प्राप्त खाद्यान्न का आवंटन संबंधित विभाग द्वारा जिलावार करते हुए राज्य खाद्य निगम को उपलब्ध कराया जाएगा। राज्य खाद्य निगम द्वारा उक्त जिलावार आवंटित खाद्यान्न को कम्प्यूटर में उक्त ऑकड़ा को फ्रीज (Freeze) कर दिया जाएगा।

(ख) जिला कल्याण पदाधिकारी/जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी द्वारा छात्रावासवार/कल्याणकारी संस्थावार उपावंटन किया जाएगा।

(ग) जिला स्तर के पदाधिकारी द्वारा अपने यूजर आई0डी0 एवं पासवर्ड द्वारा प्राप्त आवंटन को छात्रावासवार/कल्याणकारी संस्थावार आवंटित कर उनके द्वारा आवंटन के ऑकड़ों को फ्रीज (Freeze) कर दिया जाएगा।

(घ) Welfare Institutions and Hostels Scheme के अन्तर्गत मासिक व्यवस्था के तहत् छात्र–छात्राओं को अनुमान्य खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाना है, जिस हेतु भारत सरकार द्वारा बी0पी0एल0 दर पर आवंटित खाद्यान्न का पहले माह में उठाव के लिए भारतीय खाद्य निगम से खाद्यान्न क्रय करने हेतु संबंधित सभी विभागों द्वारा एकमुश्त राशि Revolving fund के रूप बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम को उपलब्ध कराया जाएगा, ताकि निगम द्वारा अग्रिम रूप से खाद्यान्न का क्रय कर समय–सीमा के अन्तर्गत उठाव किया जा सके । अगले माह हेतु खाद्यान्न का आवंटन जिलों से प्राप्त अवशेष खाद्यान्न (अवितरित खाद्यान्न की मात्रा) को घटाते हुए किया जाएगा, जिसके एवज में भंडार निर्गमादेश के विरूद्व जिलास्तर पर कर्णांकित बैंक खाते के माध्यम से प्राप्त राशि राज्य मुख्यालय के केन्द्रीकृत बैंक खाते में एकीकृत (Sweep) होकर जमा हो जाएगा ।

(ड.) अगले माह का खाद्यान्न जिला कल्याण पदाधिकारी/जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी Welfare Institutions and Hostels में वितरण के उपरांत अवशेष खाद्यान्न को अगले माह के आवंटन में समायोजित करते हुए छात्रावासवार आवंटन निर्गत किया जाएगा एवं तदनुसार आवंटन को पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा ।

(च) संबंधित विभाग द्वारा संचालित सभी छात्रावासों के अधीक्षक/नोडल पदाधिकारी से प्राप्त वितरण प्रमाण–पत्र प्राप्त करने के पश्चात जिला कल्याण पदाधिकारी/ जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी/संबंधित जिला स्तरीय पदाधिकारी द्वारा अपने आवंटन के अनुरूप ई–चालान के माध्यम से किसी भी बैंक से राशि का

हस्तातंरण निगम के अधिकृत खाते में आर0टी0जी0एस0/एन0ई0एफ0टी0/पी0एफ0एम0एस0 के माध्यम से की जाएगी ।

(छ) नोडल पदाधिकारी द्वारा जमा की गई राशि की सम्पुष्टि होते ही जिला प्रबंधक इलेक्ट्रॉनिकली भंडार निर्गमादेश तैयार करेंगे एवं एस0एम0एस0 के माध्यम से इसकी सूचना छात्रावास अधीक्षक/नोडल पदाधिकारी को तथा गोदाम के प्रभारी प्रबंधकों को भी देंगे।

(iii) <u>खाद्यान्न आपूर्ति की व्यवस्था :–</u>

प्रत्येक छात्रावास/कल्याणकारी संस्थाओं को खाद्यान्न आपूर्ति करने हेतु डिलेवरी शिड्युल जिला स्तर पर तैयार किया जाएगा। जिला के एक ही गोदाम से जिले के सभी छात्रावासों को डिलेवरी शिड्यूल के अनुसार निर्धारित दिवस का प्रचार–प्रसार कराते हुए खाद्यान्न की आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी । गोदामों से गुणवत्तापूर्ण (FAQ) चावल प्राप्त किया जाएगा । छात्रावासों/कल्याणकारी संस्थाओं द्वारा निर्धारित तिथि को खाद्यान्न नही लिये जाने की स्थिति में, गुणवत्तापूर्ण (FAQ) चावल नहीं रहने पर परिवहन व्यय की वसूली संबंधित सहायक गोदाम प्रबंधक से की जाएगी एवं गुणवत्तापूर्ण (FAQ) चावल रहने पर परिवहन खर्च की वसूली संबंधित छात्रवास के अधीक्षक/नोडल पदाधिकारी से की जाएगी, जिसका निर्धारण राज्य खाद्य निगम द्वारा किया जाएगा। छात्रावास के अधीक्षक/कल्याणकारी संस्थाओं के अधीक्षक या उनके द्वारा नामित नोडल पदाधिकारी अथवा छात्रावास अधीक्षक खाद्यान्न की प्राप्ति करेंगे, जिसका सत्यापन जिला कल्याण पदाधिकारी/जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी/अन्य संबंधित जिला स्तरीय पदाधिकारी द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी द्वारा किया जाएगा। **सहायक गोदाम प्रबंधक की पूर्ण जिम्मेवारी होगी कि गोदाम से खाद्यान्न का उठाव ससमय कराते हुए छात्रावासों में 12.00 बजे दोपहर तक खाद्यान्न पहुँचाने की व्यवस्था करें, ताकि उसी दिन इसका** Unloading हो सके ।

इस योजनान्तर्गत भेजे जाने वाले खाद्यान्न का Stock की गुणवत्ता की जांच संबंधित अपर जिला प्रबंधक एवं जिले में पदस्थापित गुणवत्ता नियंत्रक के द्वारा संयुक्त रूप से की जायेगी एवं इसका प्रतिवेदन जिला प्रबंधक को समर्पित की जाएगी । जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम द्वारा उसी के अनुरूप गुणवत्ता पूर्ण खाद्यान्न की व्यवस्था कर एस0आई0ओ0 के अनुसार खाद्यान्न को उक्त छात्रवास/कल्याणकारी संस्थाओं तक उक्त दिवस को खाद्यान्न भेजने हेतु आवश्यक कार्रवाई किया जाएगा। सहायक गोदाम प्रबंधक, परिवहन–सह–हथालन अभिकर्त्ता को एस0आई0ओ0 की प्रति एवं ट्रक/पिकअप वैन का चालान को भी परिवहन अभिकर्त्ता को सौपेंगे तथा उसकी प्राप्ति छात्रावास/कल्याणकारी संस्थाओं के अधीक्षक/नोडल पदाधिकारी से कराकर वापस सहायक गोदाम प्रबंधक को सौंपी जाएगी।

(iv) <u>खाद्यान्न को तौलने की व्यवस्था :–</u>

परिवहन अभिकर्ता का यह दायित्व है कि डिलेवरी शिडयूल के अनुसार निर्धारित तिथि को एस0आई0ओ0 के अनुरूप आवंटित खाद्यान्न की मात्रा का वजन कर छात्रावासों/कल्याणकारी संस्थाओं को खाद्यान्न मुहैया करायें एवं सही माप का प्रमाण–पत्र छात्रावास/कल्याणकारी संस्थाओं के अधीक्षक/नोडल पदाधिकारी से प्राप्त करेंगे।

प्रत्येक कार्यरत प्रखंड गोदाम में इलेक्ट्रॉनिक वेईंग मशीन एवं प्रत्येक गोदाम पर लैपटॉप के साथ कर्मी की व्यवस्था होगी। प्रखंड गोदाम में प्राप्त खाद्यान्न के आगत एवं निर्गत होने पर इसकी प्रविष्टि कम्प्यूटर के माध्यम से की जाती है, जिससे गोदाम की इनभेंटरी अविलंब तैयार हो जाती है । छात्रावास/कल्याणकारी संस्थाओं पर भी खाद्यान्न के वजन हेतु इलेक्ट्रॉनिक वेईंग मशीन की व्यवस्था राज्य खाद्य निगम द्वारा किया जाएगा ।

(v) एस0एम0एस0 के माध्यम से सूचना की व्यवस्था :–

निर्धारित तिथि को छात्रावासों के खाद्यान्न को वाहनों में लोड करने के पश्चात् छात्रावास के अधीक्षक/नोडल पदाधिकारी, छात्रावास के प्रधानाचार्य, जिला कल्याण पदाधिकारी, जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी एवं अन्य संबंधित पदाधिकारी को भी एस0एम0एस0 के माध्यम से सूचना देने की व्यवस्था की जाएगी।

(vi) दैनिक पर्यवेक्षण एवं जी0पी0एस0 अनुश्रवण हेतु 24 × 7 नियंत्रण कक्ष की स्थापना

Welfare Institutions and Hostels Scheme के अन्तर्गत खाद्यान्न का परिवहन दिन एवं रात अर्थात 24 घंटे किया जा सकेगा, इस कारण खाद्यान्न परिवहन हेतु प्रयुक्त वाहनों में लगे जी0पी0एस0 एवं लोड सेल की ट्रैकिंग की व्यवस्था बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम में स्थापित 24 × 7 नियंत्रण कक्ष में अलग से की जाएगी । इस योजना अन्तर्गत सेवा प्रदायी एजेन्सी के माध्यम से On-line खाद्यान्न का उठाव एवं प्रेषण हेतु राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना अन्तर्गत खाद्यान्न वितरण की व्यवस्था समरूप समानान्तर प्रणाली होगी। इस हेतु मुख्यालय नियंत्रण कक्ष में एक नोडल पदाधिकारी प्रतिनियुक्त होंगे, जो जिलावार खाद्यान्न के उठाव एवं प्रेषण, जी0पी0एस0 एवं लोड सेड की ट्रैकिंग व्यवस्था के साथ गुणवत्ता का संकलन करने के साथ इसका मूल्यांकन सुनिश्ति करेंगे।

(vii) खाद्यान्न का उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं परिवहन हेतु डोर स्टेप डिलवेरी योजना के तहत वित्तीय व्यवस्था :– बिहार राज्य खाद्य निगम द्वारा उठाव किये गये एवं छात्रावासों को आपूरित खाद्यान्न का जिलावार वितरण के उपरान्त त्रैमासवार रूप से उपयोगिता प्रमाण पत्र जिला कल्याण पदाधिकारी एवं जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी द्वारा संबंधित विभाग एवं उसकी एक प्रति जिला प्रबंधक को दी जाएगी। जिला प्रबंधक द्वारा उपर्युक्त खाद्यान्न के उपयोगिता प्रमाण पत्र को प्रतिहस्ताक्षरित कर महाप्रबंधक (जन वितरण), बिहार राज्य खाद्य निगम को उपलब्ध कराया जायेगा। Welfare Institutions and Hostels Scheme के अन्तर्गत वितरित खाद्यान्न का उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्रत्येक त्रैमासवार संबंधित विभागों द्वारा ससमय उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाएगा। संबंधित नोडल विभाग एवं बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम द्वारा सभी जिलों के उपयोगिता प्रमाण पत्र को एकीकृत कर त्रैमासवार खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग को उपलब्ध कराया जाएगा, जिसका मिलान करते हुए खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा भारत सरकार को उपयोगिता प्रमाण–पत्र विहित प्रपत्र में भेजा जा सकेगा (उपयोगिता प्रमाण पत्र Annexure-III संलग्न)।

डोर स्टेप डिलेवरी योजना–2016 के अन्तर्गत भारतीय खाद्य निगम से राज्य निगम के गोदामों तक तथा राज्य खाद्य निगम के गोदामों से कल्याणकारी संस्थाओं तथा छात्रावासों तक वास्ताविक खाद्यान्न की मात्रा के अनुसार परिवहन एवं हथालन तथा अन्य मद में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दर पर बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम को संबंधित

विभाग द्वारा ससमय भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा। खाद्यान्न के मूल्य के भुगतान की व्यवस्था कंडिका–iii के आलोक में प्रत्येक माह के आवंटन के अनुरूप S.I.O निर्गत करने के कर्णांकित खातों में की जाएगी एवं इसी प्रकार डोर स्टेप डिलेवरी योजना, 2016 हेतु दर का निर्धारण राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा एवं प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह में जिला प्रबंधक द्वारा उपलब्ध कराये गये विपत्र के आधार पर जिला कल्याण पदाधिकारी/जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी द्वारा कर्णांकित खातों में RTGS/NEFT/PFMS के माध्यम से की जाएगी।

(viii) <u>जन शिकायत निवारण प्रणाली :–</u>

राज्य खाद्य निगम मुख्यालय में टॉल फ्री नं0–18003456194 एवं लोक शिकायत प्रणाली (sfc.bihar.gov.in/grievance registration.http) की व्यवस्था की गई है जिसमें शिकायत दर्ज की जा सकती है । प्राप्त शिकायतों को संबंधित पदाधिकारी के पास इलेक्ट्रॉनिकली भेजा जाता है। संबंधित पदाधिकारी द्वारा अपने यूजर आई0डी0 एवं पासवर्ड से प्राप्त शिकायत पर कार्रवाई की जाती है । उक्त शिकायत का निवारण कर इसकी सूचना दी जाएगी।

(ix) <u>बेवपोर्टल की व्यवस्था :–</u>

खाद्यान्न वितरण एवं एस0आई0ओ0 तथा जन शिकायत संबंधी अन्य जानकारी के लिए निगम द्वारा sfc.bihar.gov.in बेवपोर्टल की व्यवस्था भी सामान्य नागरिकों के लिए की गई है ।

उपर्युक्त कंडिकाओं में निहित निदेशों/निर्णयों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाय ।

विश्वासभाजन,

ह0/- 7/8/2018

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक प्र0–06/विविध–10/2018 3775 खाद्य, पटना/दिनांक– 07.08.2018

प्रतिलिपि – सभी प्रमंडलीय आयुक्त एवं सभी जिला पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह0/- 7/8/2018

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक प्र0–06/विविध–10/2018 3775 खाद्य, पटना/दिनांक– 07.08.2018

प्रतिलिपि – प्रधान सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग/सचिव, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग/सचिव, अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह0/- 7/8/2018

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक प्र0–06/विविध–10/2018 3775 खाद्य, पटना/दिनांक– 07.08.2018

प्रतिलिपि – मुख्य सचिव, बिहार/विकास आयुक्त, बिहार को सादर सूचनार्थ प्रेषित ।

ह0/- 7/8/2018

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक प्र0–06/विविध–10/2018 3775 खाद्य, पटना/दिनांक– 07.08.2018

प्रतिलिपि – माननीय मंत्री के आप्त सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित ।

ह0/- 7/8/2018

सरकार के सचिव।